प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 29/2008 एकलपीठ

याचिकाकर्तागण :- 1. ग्यास अहमद,
पिता श्री सिराज अहमद,
उम्र लगभग 51 वर्ष,
सहायक अभियंता,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
कोरबा, निवासी मोमिनपुरा,
अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

2. विजय कुमार शुक्ला (वी.के. शुक्ला)
पिता श्री रामनाथ शुक्ला,
उम्र लगभग 58 वर्ष,
सहायक अभियंता,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
कोरबा, वर्तमान में सहायक अभियंता,
नगर निगम, कोरबा
निवासी ग्राम- हरदी,
तहसील एवं जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आर. के. चौबे (राकेश कुमार चौबे),
पिता श्री विपिन बिहारी चौबे,
उम्र लगभग 47 वर्ष,
सहायक अभियंता, विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, कोरबा,
निवासी बी-33, गाँधी नगर,
तानसेन रोड, ग्वालियर, वर्तमान निवासी
एम. आई. जी. 8, साडा कालोनी, कोसबाड़ी
कोरबा (छ.ग.)

4. गोपाल शरण शर्मा,
पिता श्री राम सिंह शर्मा,
उम्र लगभग 54 वर्ष,
वरिष्ठ लेखाकार, नगर निगम,
कोरबा, निवासी बानमोर, जिला- मुरैना (म.प्र.),
वर्तमान निवासी- एफ-4, साडा कालोनी, कोरबा

5. राजेश कुमार पांडे,
पिता श्री संपत लाल पांडे,

उम्र लगभग 48 वर्ष,
उप अभियंता, नगर निगम
कोरबा, निवासी राजापरा, चांपा,
जिला- जांजगीर चांपा,
वर्तमान निवासी साडा कालोनी, कोरबा

6. एस. एन. अघरिया,
पिता श्री कलीराम अघरिया,
उम्र लगभग 48 वर्ष,
उप अभियंता, नगर निगम
कोरबा, निवासी ग्राम – कपान अकलतरा,
तहसील एवँ जिला- जांजगीर चांपा,
वर्तमान निवासी जी-11, साडा कालोनी, कोरबा

7. प्रकाश चंद्रा,
पिता श्री ए. आर. चंद्रा,
उम्र लगभग 43 वर्ष,
उप अभियंता, नगर निगम
कोरबा, निवासी चक्रधर नगर,
रायगढ़, वर्तमान निवासी साडा कालोनी,
कोरबा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आनंद गुप्ता,
पिता श्री जे. एल. गुप्ता,
उम्र लगभग 46 वर्ष,
निम्न श्रेणी लिपिक,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
कोरबा, वर्तमान में लेखापाल,
नगर निगम, कोरबा
निवासी ग्राम- घोषार, थाना- पेंड्रा,
जिला- बिलासपुर, वर्तमान निवासी मकान न.
जी/32, साडा कालोनी, कोरबा

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> :- छत्तीसगढ़ राज्य,
आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ इकाई
रायपुर (छ.ग.)

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 29/2008</u>

ग्यास अहमद एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>एवं</u>

<u>दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 147/2008</u>

दिनेश कुमार तिवारी

बनाम

आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ इकाई, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 23/09/2008 को निर्णय के लिए सूचिबद्ध करें I

हस्ताक्षरकर्ता/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 29/2008</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> :- 1. ग्यास अहमद,
पिता श्री सिराज अहमद,
उम्र लगभग 51 वर्ष,
सहायक अभियंता,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
कोरबा, निवासी मोमिनपुरा,
अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

2. विजय कुमार शुक्ला (वी.के. शुक्ला)
पिता श्री रामनाथ शुक्ला,
उम्र लगभग 58 वर्ष,
सहायक अभियंता,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
कोरबा, वर्तमान में सहायक अभियंता,
नगर निगम, कोरबा
निवासी ग्राम- हरदी,
तहसील एवं जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)

3. आर. के. चौबे (राकेश कुमार चौबे),
पिता श्री विपिन बिहारी चौबे,
उम्र लगभग 47 वर्ष,
सहायक अभियंता, विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, कोरबा,
निवासी बी-33, गाँधी नगर,
तानसेन रोड, ग्वालियर, वर्तमान निवासी
एम. आई. जी. 8, साडा कालोनी, कोसबाड़ी
कोरबा (छ.ग.)

4. गोपाल शरण शर्मा,
पिता श्री राम सिंह शर्मा,
उम्र लगभग 54 वर्ष,
वरिष्ठ लेखाकार, नगर निगम,
कोरबा, निवासी बानमोर, जिला- मुरैना (म.प्र.),
वर्तमान निवासी- एफ-4, साडा कालोनी, कोरबा

5. राजेश कुमार पांडे,
पिता श्री संपत लाल पांडे,
उम्र लगभग 48 वर्ष,
उप अभियंता, नगर निगम
कोरबा, निवासी राजापरा, चांपा,
जिला- जांजगीर चांपा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान निवासी साडा कालोनी, कोरबा

6. एस. एन. अघरिया,
पिता श्री कलीराम अघरिया,
उम्र लगभग 48 वर्ष,
उप अभियंता, नगर निगम
कोरबा, निवासी ग्राम – कपान अकलतरा,
तहसील एवँ जिला- जांजगीर चांपा,
वर्तमान निवासी जी-11, साडा कालोनी, कोरबा

7. प्रकाश चंद्रा,
पिता श्री ए. आर. चंद्रा,
उम्र लगभग 43 वर्ष,
उप अभियंता, नगर निगम
कोरबा, निवासी चक्रधर नगर,
रायगढ़, वर्तमान निवासी साडा कालोनी,
कोरबा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आनंद गुप्ता,
पिता श्री जे. एल. गुप्ता,
उम्र लगभग 46 वर्ष,
निम्न श्रेणी लिपिक,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
कोरबा, वर्तमान में लेखापाल,
नगर निगम, कोरबा
निवासी ग्राम- घोषार, थाना- पेंड्रा,
जिला- बिलासपुर, वर्तमान निवासी मकान न.
जी/32, साडा कालोनी, कोरबा

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> :- छत्तीसगढ़ राज्य,
आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ इकाई
रायपुर (छ.ग.)

<u>एवं</u>

<u>दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 147/2008</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> :- दिनेश कुमार पटेल, पिता श्री
गोपाल प्रसाद तिवारी, उम्र 51
वर्ष, सहायक निर्देशक,
स्थानीय ऑडिट कोष , निवासी
अजंता सॉ मिल के पीछे,

सुभम विहार, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> :- आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ

इकाई रायपुर (छ.ग.)

<u>(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएँ)</u>

.....

याचिककर्तागण हेतु: श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा, अधिवक्ता के साथ

(दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 29/2008 में)

याचिकाकर्ता हेतु: श्री संदीप दुबे, अधिवक्ता

(दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 147/2008 में)

उत्तरवादी की ओर से: श्री किशोर भादुड़ी, उप महाधिवक्ता श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता के साथ

.....

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>आदेश</u>

<u>(दिनांक 23/09/2008 को पारित किया गया)</u>

<u>धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति</u>

1.उपरोक्त याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि आवेदकों ने, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत तत्काल याचिकाओं द्वारा, विशेष न्यायाधीश, कोरबा के न्यायालय में अपराध क्रमांक 3/94 के संबंध में उनके खिलाफ धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला क्रमांक 14/2007 के रूप में दायर आरोप पत्र को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 457 और 120-8 तथा धारा 13(1)(डी) (ii) (i) और 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

2. आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता संबंधित समय में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'साडा') कोरबा के तहत सहायक अभियंता, वरिष्ठ लेखाकार, उप अभियंता, एलडीसी और लेखा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। साडा के अध्यक्ष, अन्य इंजीनियरों और कर्मचारियों के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार के आदेशानुसार, मुख्य तकनीकी परीक्षक (संक्षेप में 'सीटीई') ने अपने आदेश दिनांक 21-12-90 के तहत कार्यपालक अभियंता, सीटीई (सतर्कता) को उपरोक्त शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने 19-1-91 और 22-1-91 के बीच जांच की और अपनी रिपोर्ट सीटीई को सौंप दी। इसके बाद, सीटीई (सतर्कता) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11-4-91 को सुरक्षित सरकार को सौंप दी। मुख्य तकनीकी परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य शासन द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए गए तथा तत्पश्चात उपरोक्त अपराध सर्वप्रथम राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में दिनांक 3-1-94 को पंजीबद्ध किया गया तथा उपरोक्त के आधार पर उपरोक्त अपराध दिनांक 10-2-94 को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में पंजीबद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. जांच के बाद, 10-12-2007 को आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिंग रोड के निर्माण में अनियमितताएं थीं, क्योंकि 6 किमी

लंबी सड़क के बिटुमिनीकरण के लिए माप सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था; ग्रिट और बिटुमिन के अनुपात की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी; ठेकेदारों ने बिटुमिन की आपूर्ति की; लेवलिंग कोर्स और बिटुमिन मैकडम का माप माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था, बिटुमिनीकरण के निर्माण के लिए ठेकेदारों को 16 लाख रुपये से अधिक का अधिक भुगतान किया गया था; नोटशीट में रिंग रोड के 7-12 किमी के बिटुमिनीकरण और निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं, ठेकेदार को 22 लाख रुपये से अधिक का अधिक भुगतान किया गया, सड़क के रखरखाव कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं और निविदा आवेदनों, निविदा पत्रों, निविदा जारी करने वाले रजिस्टर, सुरक्षा जमा की वापसी पर विभिन्न ठेकेदारों के हस्ताक्षर जाली थे, 27,891/- रुपये के वास्तविक कार्य के खिलाफ एक ठेकेदार को 15 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया; चुरा-कछार पहुँच मार्ग का निर्माण विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया; 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया जबकि वास्तविक कार्य 1,66,178 रुपये का हुआ था; इसी प्रकार, लेट बलगीखेर और डंगरिया खार के बीच सड़क विनिर्देशों के अनुसार नहीं थी; माप पुस्तिका में सही प्रविष्टियाँ नहीं की गईं और तदनुसार ठेकेदारों को 4,98,183 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। आरोपी व्यक्तियों ने ठेकेदारों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में, धोखाधड़ी और बेईमानी के इरादे से दोषपूर्ण अनुमान तैयार किए। उन्हें नियमों का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उल्लंघन करते हुए काम करने दिया गया। सभी आवेदकों और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया था। जांच के बाद, 10-12-2007 को आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिंग रोड के निर्माण में अनियमितताएं थीं, क्योंकि 6 किमी लंबी सड़क के बिटुमिनीकरण के लिए माप सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था; ग्रिट और बिटुमिन के अनुपात की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी; ठेकेदारों ने बिटुमिन की आपूर्ति की; लेवलिंग कोर्स और बिटुमिन मैकडम का माप को माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था, बिटुमिनीकरण के निर्माण के लिए ठेकेदारों को 16 लाख रुपये से अधिक का अधिक भुगतान किया गया था; नोटशीट में रिंग रोड के 7-12 किमी के बिटुमिनीकरण और निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं, ठेकेदार को 22 लाख रुपये से अधिक का अधिक भुगतान किया गया, सड़क के रखरखाव कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं और निविदा आवेदनों, निविदा पत्रों, निविदा जारी करने वाले रजिस्टर, सुरक्षा जमा की वापसी पर विभिन्न ठेकेदारों के हस्ताक्षर जाली थे, 27,891/- रुपये के वास्तविक कार्य के खिलाफ एक ठेकेदार को 15 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया; चुरा-कछार पहुँच मार्ग का निर्माण विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया; 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया जबकि वास्तविक कार्य 1,66,178 रुपये

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का हुआ था; इसी प्रकार, लेट बलगीखेर और डंगरिया खार के बीच सड़क विनिर्देशों के अनुसार नहीं थी; माप पुस्तिका में सही प्रविष्टियाँ नहीं की गईं और तदनुसार ठेकेदारों को 4,98,183 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। आरोपी व्यक्तियों ने ठेकेदारों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में, धोखाधड़ी और बेईमानी के इरादे से दोषपूर्ण अनुमान तैयार किए। उन्हें नियमों का उल्लंघन करते हुए काम करने दिया गया। सभी आवेदकों और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल ने तर्क दिया कि संबंधित समय में साडा, कोरबा की अध्यक्षता एक विशेष सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। दूसरे विपक्षी दल के संसद सदस्य ने साडा के काम में कथित अनियमितताओं के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि साडा के पदाधिकारी सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसी दल के जिला इकाई अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष साडा के पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। उपरोक्त शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भोपाल ने प्रारंभिक जांच की और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, उपरोक्त अपराध पंजीकृत

किया गया था। मामले में आगे की जांच करने और मुख्यालय को जांच के विवरण के साथ सिफारिश भेजने के निर्देश के साथ 22-3-94 को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मुख्यालय, भोपाल द्वारा ईओडब्ल्यू, रायपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजी गई थी। यह कार्य 1987 से 1990 की अवधि का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य तकनीकी परीक्षक ने 19-1-91 से 22-1-1991 तक पूरी जाँच की और उसे 4 दिनों की अवधि में पूरा किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल ने तर्क दिया कि संबंधित समय में साडा, कोरबा की अध्यक्षता एक विशेष सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। दूसरे विपक्षी दल के संसद सदस्य ने साडा के काम में कथित अनियमितताओं के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि साडा के पदाधिकारी सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसी दल के जिला इकाई अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष साडा के पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। उपरोक्त शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भोपाल ने प्रारंभिक जांच की और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, उपरोक्त अपराध पंजीकृत किया गया था। मामले में आगे की जांच करने और मुख्यालय को जांच के विवरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के साथ सिफारिश भेजने के निर्देश के साथ 22-3-94 को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मुख्यालय, भोपाल द्वारा ईओडब्ल्यू, रायपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजी गई थी। यह कार्य 1987 से 1990 की अवधि का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य तकनीकी परीक्षक ने 19-1-91 से 22-1-1991 तक पूरी जाँच की और उसे 4 दिनों की अवधि में पूरा किया।

5. छत्तीसगढ़ निर्माण विभाग नियमावली खंड-II का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त नियमावली के परिशिष्ट 9.27 में मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन का उल्लेख है। संगठन का कार्य प्रगति पर चल रहे महत्वपूर्ण कार्यों का निरीक्षण करना और शासकीय कार्यों के निर्वहन में धोखाधड़ी और लापरवाही की जाँच करना है। नियमावली का खण्ड 26 परिशिष्ट में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख है। मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट को आरोप-पत्र और आरोपों के विवरण का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। विभाग की यह ज़िम्मेदारी है कि वह मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट के आलोक में विभागीय प्रमुखों के माध्यम से आगे की जाँच करवाए, जिसके बाद वे स्वयं इस बात से संतुष्ट हो जाएँ कि कौन से अधिकारी या ठेकेदार दोषों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं (अनुलग्नक-पी/5)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. वर्तमान मामले में, मुख्य तकनीकी परीक्षक ने सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र संबोधित किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

परिशिष्ट-पी/5 के परिशिष्ट 9.27 के कंडिका 26 के अनुसार, मामले की आगे जांच करवाना और अपने निष्कर्ष पर पहुंचना विभाग का बाध्यकारी कर्तव्य है (अनुलग्नक-पी/6)। सहायक पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा, रायपुर ने भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुलग्नक-पी/7 दिनांक 18-4-96 का एक पत्र संबोधित किया था ताकि उन्हें अवगत कराया जा सके कि मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट के बाद कोई और जांच की गई थी या नहीं और इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अनुलग्नक-पी/8 दिनांक 8-8-96 के जरिए एआईजी को सूचित किया कि सीटीई द्वारा जांच के बाद मामले में साडा द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में, विभाग द्वारा आगे कोई जांच किए बिना केवल सीटीई की रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. वैध स्वीकृति के आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अनुलग्नक-पी/3 के स्वीकृति आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसे बिना सोचे-समझे ही प्रदान किया गया है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आवेदकों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि, अन्य आरोपी व्यक्तियों अर्थात् गुलाब सिंह सोलंकी और मिथिलेश कुमार वर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया है।

8. आवेदकों द्वारा यह अपराध कथित रूप से 1987 और 1990 के बीच किया गया है। सीटीई की रिपोर्ट वर्ष 1991 में प्रस्तुत की गई थी। हालाँकि, अपराध वर्ष 1994 में दर्ज किया गया था और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र वर्ष 2007 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 13 वर्ष बाद दायर किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने में लगभग 17 वर्षों का विलंब हुआ है, इसलिए, अत्यधिक विलंब के आधार पर, बिना किसी स्पष्टीकरण के, आरोप पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

9. आवेदक दिनेश कुमार तिवारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप दुबे ने तर्क दिया कि आवेदक के मामले में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जायसवाल द्वारा दिए गए तर्कों के अलावा, यदि आरोप पत्र में मौजूद आरोप को संपूर्णता में स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत था और वह स्थानीय लेखा परीक्षा निधि विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का पद संभाल रहा था। वह 24-10-89 को साडा, कोरबा में लेखा अधिकारी के पद पर अनुलग्नक-ए/1 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था। अनुलग्नक-ए/2 के कार्य वितरण ज्ञापन के अनुसार, लेखा अधिकारी के कर्तव्य कैश बुक का रखरखाव और जांचे गए बिलों को पारित करना थे। वर्ष 1989 में उनकी पदस्थापना के बाद एकमात्र आरोप यह है कि प्रभारी उप अभियंता द्वारा तैयारी के बाद और संबंधित सहायक अभियंता और संभागीय लेखाकार द्वारा पारित करने के लिए विधिवत सत्यापन के बाद उनके समक्ष जो भी चालू बिल प्रस्तुत किए गए, उन्हें उन्होंने पारित कर दिया। श्री ए.आर. खान कथित अपराध की अवधि के दौरान दिनांक 26-10-89 को अपनी नियुक्ति से पहले लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे । हालाँकि, श्री खान को गवाह के रूप में पेश किया गया है, जबकि वर्तमान आवेदक को बिना किसी औचित्य के अभियुक्त बनाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह स्थापित कानून है कि चार्जशीट को अभिखंडित करने के लिए धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। इस स्तर पर, योग्यता के आधार पर साक्ष्य का वजन या परिमार्जन स्वीकार्य नहीं है। इस स्तर पर, केवल यह देखा जाना है कि कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया की प्रति है या नहीं। तत्काल तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) को ईओडब्ल्यू द्वारा जांच के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया था, मामले की ईओडब्ल्यू द्वारा आगे जांच की गई और उसके बाद ही वर्ष 1994 में अपराध दर्ज किया गया था। सीटीई की रिपोर्ट के आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालाँकि, सीटीई की रिपोर्ट ही अपराध दर्ज करने का एकमात्र आधार नहीं है और ईओडब्ल्यू द्वारा प्रारंभिक जाँच पूरी होने के बाद अपराध दर्ज किया गया था। जाँच प्रक्रिया में गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और प्रारंभिक जाँच में एकत्रित साक्ष्यों से, प्रथम दृष्टया अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिले थे, जिसके परिणामस्वरूप साडा को कानूनी नुकसान हुआ और कुछ ठेकेदारों को अवैध लाभ हुआ। आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो साडा के अध्यक्ष, सीईओ, मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य कर्मचारी थे। आवेदकों पर अन्य अपराधों के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 120-बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में उनकी व्यक्तिगत भूमिका आरोप पत्र में साडा के अधिकारियों/कर्मचारियों का विधिवत उल्लेख किया गया है और आरोपी व्यक्तियों की ओर से चूक और कमीशन के कृत्यों के कारण साडा को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। आवेदकों ने ठेकेदारों के साथ साजिश में साडा को अवैध नुकसान और ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाया है और इसलिए, गवाहों के बयानों को देखते हुए, देवेंद्र सिंह बैस, कार्यालय अधीक्षक; अरविंद वानखेड़े, कमल कुमार देवांगन, गजाधर सिंह, एनएस राणा, एनएस राठौर, नारायण प्रसाद देवांगन, राज कुमार, दिनेश कुमार ध्रुव, दीन दयाल शर्मा, कमलेश कुमार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अब्दुल रशीद खान, श्रीमती रीता गिरी, नेलन समद, खलील खान, सुनऊ राम पटल और जांच के दौरान जब्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि उन्होंने ठेकेदारों के साथ साजिश में जाली निविदा दस्तावेज तैयार किए, निविदा आमंत्रित किए बिना अनुबंध प्रदान किया।

11. जहाँ तक श्री जायसवाल द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है कि कोई वैध स्वीकृति नहीं है, क्योंकि स्वीकृति बिना सोचे-समझे दी गई थी, स्वीकृति आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी ने अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अभियोजन की स्वीकृति दी है। याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर आरोपपत्र को अभिखंडित करने का दावा नहीं कर सकते कि दो सह-अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई थी, क्योंकि अन्य सह-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने से इनकार करना आवेदकों के खिलाफ आरोपपत्र को अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी दिनेश कुमार तिवारी, साडा के लेखा अधिकारी, का कर्तव्य था कि वे साडा को जांच में सहायता करें और ठेकेदारों के दावों पर कार्रवाई की। हालाँकि, उन्होंने ठेकेदारों को भुगतान के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत बिलों को, मामले में वित्तीय अनियमितता की स्वयं जाँच किए बिना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजने के लिए यंत्रवत् अग्रेषित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहां तक जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में देरी से संबंधित आपत्ति का संबंध है, सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता के बारे में शिकायत प्राप्त होने के बाद, मामले की तुरंत मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) द्वारा जांच की गई, जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई भारी वित्तीय अनियमितताओं का विवरण देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को जांच के लिए ईओडब्ल्यू, रायपुर को भेज दिया गया और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आवेदकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। चूंकि आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सका, केवल सीटीई की रिपोर्ट के आधार पर, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, अपराध दर्ज करने और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि आरोप पत्र दायर करने में 13 साल की देरी हुई है, लेकिन अपराध की प्रकृति, आरोपी व्यक्तियों और गवाहों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, केवल देरी के आधार पर, आवेदकों के खिलाफ आरोप पत्र को अभिखंडित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मैंने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आवेदकों के विरुद्ध दायर किए गए विस्तृत आरोप-पत्र का अवलोकन किया है।

14. आवेदकों ने निम्नलिखित आधारों पर आरोप पत्र को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है:-

(i) पीडब्ल्यूडी निर्माण नियमावली में उल्लिखित पृथक जांच किए बिना मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया;

(ii) बिना सोचे-समझे यंत्रवत् स्वीकृति दे दी गई हो;

(iii) यदि आरोप पत्र में उल्लेखित आवेदक दिनेश कुमार तिवारी के विरुद्ध आरोप को पूर्णतः स्वीकार कर भी लिया जाता है, तो भी उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है; तथा

(iv) आवेदकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है और जांच पूरी करने तथा आरोप पत्र दाखिल करने में अत्यधिक एवं अस्पष्टीकृत देरी हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>पीडब्ल्यूडी निर्माण मैनुअल में उल्लिखित पृथक जांच किए बिना मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज किया गया।</u>

15. उपर्युक्त तर्क कार्य नियमावली के परिशिष्ट 9.27 के खंड 26 के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण पर आधारित है, जो मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन से संबंधित है। इस संगठन को विभिन्न कार्य और कर्तव्य सौंपे गए हैं, जिनमें कार्यों का निरीक्षण, मापी गई भूमि के आधार पर भुगतान के बाद कार्यों और बिलों की जाँच, पूर्ण हो चुके कार्यों के साथ-साथ प्रगति पर चल रहे कार्यों का तकनीकी और प्रशासनिक ऑडिट और धोखाधड़ी और लापरवाही के मामलों को सरकार को संदर्भित करना शामिल है।

इस संबंध में आवेदकों द्वारा संदर्भित स्पष्टीकरण केवल इस सीमा तक है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ प्रभारी स्नीट और आरोपों के विवरण में नहीं दिया जाना चाहिए और सीटीई के आलोक में विभागीय प्रमुखों के माध्यम से आगे की जांच कराने की जिम्मेदारी विभाग पर डाली गई है।

<u>बिना किसी पूर्व सूचना के यांत्रिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है।</u>

16. रिपोर्ट पर विचार करें और स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही उत्तरदायी अधिकारी/ठेकेदार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, सीटीई की रिपोर्ट सरकार द्वारा प्रारंभिक जाँच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भेजी गई थी और उसके बाद ही जाँच अधिकारी जे.पी. द्विवेदी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज किया गया और विधिवत जाँच के बाद आवेदकों सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एआईजी से संदर्भित पत्राचार और एसएडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर को यह मानने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि सीटीई द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कोई जाँच नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>यदि आरोप पत्र में उपस्थित आवेदक दिनेश कुमार तिवारी के विरुद्ध आरोप को पूर्णतः स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता।</u>

17. लेखा अधिकारी दिनेश कुमार तिवारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप दुबे ने जोरदार तर्क दिया कि लेखा अधिकारी का दायित्व केवल कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत बिलों पर कार्यवाही करना है। बिल प्रारंभ में संभागीय लेखाकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो सत्यापन के बाद आवेदक के समक्ष इसे अग्रेषित करता है और आवेदक केवल इसे जांचने और खुद को संतुष्ट करने के लिए जिम्मेदार है कि क्या इसे उचित जांच के बाद प्रस्तुत किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने विभाग के ठेकेदारों के साथ साजिश में एक झूठा अनुमान तैयार किया, इसके बाद बिना किसी निविदा को आमंत्रित किए ठेकेदारों को काम सौंपा और काम के वास्तविक निष्पादन के बिना और माप पुस्तकों में सही प्रविष्टियां दर्ज किए बिना, बिल पेश करके भुगतान का दावा किया गया और उन्हें पहले डिवीजनल अकाउंटेंट द्वारा और उसके बाद लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान के लिए माप पुस्तकों से सत्यापन किए बिना पारित किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया। लेखा अधिकारी के कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख छत्तीसगढ़ निर्माण विभाग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियमावली (II) के परिशिष्ट 1.29 में किया गया है, जो उस पर यह कर्तव्य भी डालता है कि वह ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं के दावों की जांच और प्रक्रिया में विभाग के प्रमुख की सहायता करेगा। इसलिए, इस स्तर पर, यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है।

18. श्री दुबे ने अनिल कुमार बोस बनाम बिहार राज्य[1] के मामले का हवाला दिया। उक्त मामले में, लेखाकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 34 के तहत आरोपों से इस टिप्पणी के साथ बरी कर दिया गया कि "उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर, लेखाकार की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन करने या ड्यूटी चार्ट में निर्धारित प्रक्रिया के नियमों का उचित तरीके से पालन करने में चूक हुई थी और इसलिए, यह उसकी ओर से एक प्रशासनिक चूक हो सकती है जिसके बारे में हमें इस मामले में कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है।" उपरोक्त मामले में, साक्ष्य के बाद लेखाकार को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसी तरह, सुभाष पर्वत सोनवणे बनाम गुजरात राज्य[2] के मामले में, अपीलकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 और 7, 11 और 13(1)(ए), (बी) और (डी) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। उन्हें विशेष न्यायाधीश

[1] AIR 1974 SUPREME COURT 1580
[2] 2002 (6) Supreme Court 86

द्वारा अधिनियम की धारा 13(1)(ओ) और 13(2) के तहत दोषी ठहराया गया था और उनकी अपील को गुजरात उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। हालांकि, उनकी अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ स्वीकृति दी थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से किसी भी राशि की मांग की थी। धारा 20 के तहत वैधानिक अनुमान अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, तत्काल मामले में, आवेदक ने आरोप पत्र को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है, क्योंकि वह भा.द.स. के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अभियोजन का सामना कर रहा है आपराधिक षडयंत्र के लिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा, आरोप पत्र दाखिल किया गया है और पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवेदकों को त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन जांच पूरी करने और चार्ज शीट दाखिल करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी हो रही है।</u>

20. हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम चौधरी भजन लाल एवं अन्य[3] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते

[3] AIR 1992 SUPREME COURT 604

समय हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार करते हुए, कण्डिका 108 में यह माना है कि "हम निम्नलिखित मामलों के उदाहरण दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर, ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है

2. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

3. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

4. यहाँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं। संहिता की धारा 156 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की स्वीकृति है।

5. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है, तो संस्था को उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कार्यवाही के दौरान और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

7. जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से द्वेषपूर्ण भावना से की गई हो या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य

से तथा निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।"

21. कण्डिका-109 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि "हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; यह कि न्यायालय द्वारा एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करना न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या अहंकार के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. मेस्सर्स झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य[4] के मामले में भी, भजन लाल (पुर्वांत) केस में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को निर्णय के कण्डिका-10 में दोहराया गया है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र लाल दास बनाम के मामले में बिहार राज्य एवं अन्य[5] ने माना है कि:-

[4] Air 2005 SUPREME COURT 9
[5](2002) 1 SCC 149

"संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को उसके विरुद्ध लंबित मामले की शीघ्र सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। यह सभी संबंधित पक्षों के हित में है कि परिस्थितियों के अनुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि या निर्दोषता का यथाशीघ्र निर्धारण किया जाए। शीघ्र सुनवाई के अधिकार में सभी चरण शामिल हैं, अर्थात्, जाँच, पूछताछ, सुनवाई, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार। कथित देरी का निर्धारण करते समय, न्यायालय को प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर करना होता है, जिसमें अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों और गवाहों की संख्या, संबंधित न्यायालय का कार्यभार, प्रचलित स्थानीय परिस्थितियाँ आदि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक देरी को अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करने वाला नहीं माना जा सकता, लेकिन कथित देरी को परिस्थितियों की समग्रता और मामले के सामान्य परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। अत्यधिक देरी को पूर्वाग्रह का एक स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. पुनः, पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

"(4) सभी आपराधिक कार्यवाहियों के समापन के लिए कोई बाहरी सीमा निर्धारित करना न तो उचित है, न ही व्यवहार्य, और न ही न्यायिक रूप से

[6] (2002) 4 SCC 578

स्वीकार्य है। कॉमन कॉज (1), राज देव शर्मा (1) और राज देव शर्मा (11) में दिए गए विभिन्न निर्देशों में निर्धारित समय-सीमाएँ या परिसीमा-प्रतिबंध इस प्रकार निर्धारित या निर्धारित नहीं किए जा सकते थे और वे उचित कानून नहीं हैं। दंड न्यायालय केवल समय बीत जाने के कारण मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जैसा कि कॉमन कॉज केस (I), राज देव शर्मा केस (1) और (II) में दिए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक, उन निर्णयों में निर्धारित समयावधियों का उपयोग मुकदमे या कार्यवाही से संबंधित न्यायालयों द्वारा अनुस्मारक के रूप में किया जा सकता है, जब उन्हें अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपनी न्यायिक बुद्धि लगाने के लिए राजी किया जा सके और ए.आर. अंतुले केस में बताए गए विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जा सके कि क्या मुकदमे या कार्यवाही में इतनी अत्यधिक देरी हो गई है कि दमनकारी और अनुचित कहा जाएगा। ऐसी समय-सीमाओं को किसी भी न्यायालय द्वारा मुकदमे या कार्यवाही को आगे जारी रखने में बाधा के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही न्यायालय को उसे समाप्त करने और अभियुक्तों को बरी करने या दोषमुक्त करने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य करने के रूप में माना जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. सीबीआई के माध्यम से कर्नाटक राज्य बनाम सी. नागराजस्वामी[7] के मामले में, अभियुक्त पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। प्रारंभ में, वैध स्वीकृति के अभाव में अभियुक्त को विशेष न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के बाद नया आरोपपत्र दायर किया गया, जिसे अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत याचिका के माध्यम से पुनः चुनौती दी। महेंद्र लाल दास और

[7] AIR 2005 SUPREME COURT 4308

पी. रामचंद्र राव (पुर्वांत) के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय के निर्णयों को अभिखंडित कर दिया गया और अधीनस्थ न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह मामलों का शीघ्र, अधिमानतः इस आदेश के संसूचन की तिथि से छह महीने के भीतर, निपटारा करे, बशर्ते कि प्रतिवादियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

26. पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य[8] के मामले में, जिस पर आवेदकों ने जोर दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भजन लाल (पुर्वांत) के मामले में दिए गए निर्णय सहित विभिन्न पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिकार पर विस्तार से विचार करते हुए अभियुक्तों के शीघ्र परीक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तें बताई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "(*i*) संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया अभियुक्त को शीघ्रता से मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करती है; (*ii*) अनुच्छेद 21 से प्राप्त त्वरित सुनवाई के अधिकार में सभी चरण शामिल हैं, अर्थात जांच, पूछताछ, परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण और पुनः सुनवाई का चरण; (*iii*) प्रत्येक मामले में जहां त्वरित सुनवाई का उल्लंघन होने का आरोप लगाया जाता है, पहला प्रश्न जो पूछा और उत्तर दिया जाना चाहिए वह है - देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?; (*iv*) यह निर्धारित करते समय कि क्या अनुचित देरी हुई है (जिसके परिणामस्वरूप त्वरित सुनवाई के अधिकार का

[8] 2008 AIR SCW 5165

उल्लंघन हुआ है) अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों और गवाहों की संख्या, संबंधित न्यायालय का कार्यभार, प्रचलित स्थानीय परिस्थितियां आदि सहित सभी संबंधित परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए - जिसे प्रणालीगत देरी कहा जाता है; (*v*) प्रत्येक देरी से अभियुक्त को आवश्यक रूप से नुकसान नहीं होता है। कुछ देरी वास्तव में उसके लाभ के लिए काम कर सकती है। हालांकि, अत्यधिक लंबी देरी को पूर्वाग्रह के संभावित प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। इस संदर्भ में, अभियुक्त की कैद का तथ्य भी एक प्रासंगिक तथ्य होगा। अभियोजन पक्ष को उत्पीड़न नहीं बनने दिया जाना चाहिए। लेकिन अभियोजन पक्ष कब उत्पीड़न बनता है, यह फिर से किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है; (*vi*) अंततः, न्यायालय को कई प्रासंगिक कारकों को संतुलित करना होगा - "संतुलन परीक्षण" या "संतुलन प्रक्रिया" - और प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना होगा कि क्या त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया है; (*vii*) सामान्य रूप से, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, आरोप या दोषसिद्धि, जैसा भी मामला हो, अभिखंडित कर दी जाएगी। लेकिन यह एकमात्र रास्ता नहीं है और अपराध की प्रकृति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब न्यायालय को लगता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि कार्यवाही को अभिखंडित करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है, तो न्यायालय के लिए उचित आदेश देना खुला है, जिसमें मुकदमे को पूरा करने की अवधि तय करना शामिल है; (*viii*) सभी आपराधिक कार्यवाहियों के समापन के लिए कोई बाहरी समय-सीमा निर्धारित करना न तो उचित है और न ही संभव है। शीघ्र सुनवाई के अधिकार से इनकार करने की शिकायत के प्रत्येक मामले में, देरी को उचित ठहराना और उसकी व्याख्या करना प्राथमिक रूप से अभियोजन पक्ष का काम है। साथ ही, शिकायत पर फैसला सुनाने से पहले किसी दिए गए मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करना न्यायालय का कर्तव्य है; (*ix*) शीघ्र सुनवाई के अधिकार से इनकार करने और उस कारण से राहत के आधार पर एक आपत्ति पहले उच्च न्यायालय को संबोधित की जानी चाहिए। यहां तक कि अगर उच्च न्यायालय इस तरह की दलील पर विचार करता है, तो आमतौर पर उसे गंभीर और असाधारण प्रकृति के मामले को छोड़कर कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त निर्णयों में, उच्चतम न्यायालय ने कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए और मामले के उन पहलुओं पर विचार करते हुए कि अपराध वर्ष 1981

में किया गया था, अपराध वर्ष 1987 में पंजीकृत किया गया था, आरोप पत्र वर्ष 1991 में प्रस्तुत किया गया था, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी 1999 तक कुछ नहीं हुआ और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिए आवेदक के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर भी विचार किया गया, आवेदक, जो 1981 में लगभग 18 वर्ष का युवा लड़का था, जब कथित रूप से संबंधित द्वारा चूक और कमीशन के कृत्य किए गए थे, माता-पिता द्वारा प्रबंधित, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, ने उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. वर्तमान मामले में, अपराध की अवधि 1987 से 1990 के बीच थी, शिकायत वर्ष 1991 में की गई थी, सीटीई ने अप्रैल 1991 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर वर्ष 1994 में अपराध दर्ज किया गया, 36 आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद 13 साल बाद 2007 में आरोप पत्र दायर किया गया। 1992 से 2000 के बीच गवाहों के साथ मिलकर विभिन्न दस्तावेज़ों को ज़ब्त किया गया और अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त की गई। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि स्वीकृति के लिए आवेदन जनवरी, 2003 में दायर किया गया था, हालाँकि, स्वीकृति 18-9-2007 को ही दी गई थी।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, पूर्वगामी कण्डिका में वर्णित आरोपों की प्रकृति, निम्नतम रैंक से लेकर अध्यक्ष तक साडा के सभी अधिकारियों के अपराध में संलिप्त होने के तरीके को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि केवल अस्पष्टीकृत एवं अत्यधिक विलंब के आधार पर अभियोजन को अभिखंडित नहीं किया जा सकता है तथा विलंब को माफ किया जाना चाहिए।

30. उपर्युक्त कारणों से, दोनों याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। तथापि, न्याय के हित में, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय इस आदेश की सूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, विचारण में तेजी लाकर, इसे शीघ्रतापूर्वक समाप्त करे, बशर्ते कि आवेदकगण एवं अन्य अभियुक्तगण इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरकर्ता/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश
23/09/2008

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Nitesh Jain

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur